इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 नवम्बर 2021—कार्तिक 28, शक 1943

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2021

क्र. एफ 14-82-1988-दस-2.—वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 28 के साथ पठित धारा 64 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम,

1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

संशोधन

वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के नियम 34 (असाधारण मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 27 अगस्त, 2021 द्वारा संशोधित एवं प्रकाशित) के उपनियम 3(1)(ख) को संशोधित कर निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है :—

उप नियम-3(1) (ख)*ये दरें एक भ्रमण हेतु हैं एवं अनुज्ञा-पत्र एक दिवस हेतु विधिमान्य रहेगा. पचमढ़ी में समस्त विनिर्दिष्ट स्थलों एवं व्यू पॉइंट्स के भ्रमण हेतु अनुज्ञा-पत्र की दर रुपये 500/- प्रति वाहन/दिवस होगी. पर्यटक रुपये 1,000/- का भुगतान कर पचमढ़ी के समस्त विनिर्दिष्ट स्थलों एवं व्यू पॉइंट्स के भ्रमण हेतु विधिमान्य 3 दिवसीय विशेष अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पद्मप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2021

क्र. एफ-14-82-1988-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-एफ 14-82-1988-दस-2, दिनांक 11 नवम्बर, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पद्मप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

Bhopal, the 11th November 2021

F 14-82-1988-X-2.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) and clause (h) of Sub-section (2) of Section 64, read with Section 28 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Wildlife (Protection) Rules, 1974, namely :—

AMENDMENTS

The Sub Rule-3(1) (b) of rule-34 of Madhya Pradesh Wildlife (Protection) Rule, 1974 (As amended and published in M. P. State Gazetteer Extra ordinary 27th August 2021) shall be amended as follows:

3(1) (b) *These rates are for one round and permit will be valid only for a day. The permit fee for visiting all the designated specific sites and viewpoints of Panchmarhi will be Rs. 500 per vehicle per day. By paying Rs. 1,000/- Tourists may obtain special permit with 3 days validity for visiting all the designated specific sites and viewpoints.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PADMAPRIYA BALAKRISHNAN, Secy.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ–13–35–2020–बी–ग्यारह.– मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन्1973) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः–

संशोधन

उक्त नियमों में, –

प्ररूप–1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"प्ररूप–1

(नियम 3 देखिए)

रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसायटी का ज्ञापन

1. सोसायटी का नाम – ....होगा।
2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक ....मोहल्ला........................तहसील ....जिला .... में स्थित होगा। मोबाईल क्रमांक .... एवं ई–मेल आई डी........................
3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :–
   (1)
   (2)
   (3)
   (4)
   (5)
4. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उप–धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी के विनियम की सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति संगम ज्ञापन के साथ फाईल की गई है।

हम, विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम, पते, व्यवसाय एवं अन्य विवरण नीचे उल्लिखित हैं, पूर्वोक्त संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक सोसायटी बनाने के इच्छुक हैं और

साक्षी की उपस्थिति में हमने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, संचालक परिषद, समिति या शासी निकाय को सोसायटी के सदस्यों के बीच न्यस्त किया है जो नीचे विनिर्दिष्ट है –

अनुक्रमांक	पिता/पति के नाम के साथ हस्ताक्षर करने वालों के नाम	पूरा पता	जन्मतिथि/आयु	मोबा. नम्बर	उपजीविका	तदर्थ शासी निकाय में पद धारित करने की दशा में पदनाम	हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							
(6)							
(7)							

दिनांक

साक्षी

हस्ताक्षर...

नाम–...

पिता/पति का नाम ....

पूरा पता–..

आधार संख्या ....

मोबाईल नम्बर ....

ई मेल आई डी ....

2. प्ररूप– 1 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"प्ररूप-1क

(नियम 3 देखिए)

(सोसायटी की उप-विधियां)

1. **सोसायटी का नाम -** .... होगा।
2. **सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक** .... **मोहल्ला** .... **तहसील** .... **जिला**............... **में स्थित होगा। मोबाईल क्रमांक** .... **एवं ई-मेल आई डी** ....
3. **सोसायटी का कार्यक्षेत्रः** ....
4. **सोसायटी के उद्देश्य :-** **(ज्ञापन के अनुसार)**

....

....

5. **सोसायटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-**
   (क) **संरक्षक सदस्यः** वह व्यक्ति जो रूपए 1,000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर 12 किश्तों में भुगतान करता है, सोसायटी का संरक्षक सदस्य होगा;
   (ख) **आजीवन सदस्य:** वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसायटी का आजीवन सदस्य होगा;
   (ग) **साधारण सदस्य:** वह व्यक्ति जो रूपए 10/- प्रतिमाह या रूपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करता हैं, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान का भुगतान करता है;
   (घ) **मानद सदस्य-** सोसायटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों को मानद सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग ले सकते हैं, किन्तु वे मतदान के लिए हकदार नहीं होंगे।
6. **सदस्यता की प्राप्ति-** प्रत्येक व्यक्ति, जो सदस्य बनने का ईच्छुक हो, उसे प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष लिखित में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रबंधकारिणी समिति, सदस्यता के लिए ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या निरस्त करने के लिए प्राधिकृत होगी।
7. **सदस्यता के लिए अर्हता-** सोसायटी की सदस्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं अनिवार्य हैः-
   एक. आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए;
   दो. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए;
   तीन. उसे सोसायटी के नियमों में विश्वास हो तथा वह उनका अनुसरण करता हो;
   चार. सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8. **सदस्यता की समाप्ति-** सोसायटी की सदस्यता निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में समाप्त हो जाएगी:-

एक. मृत्यु हो जाने पर;

दो. पागल हो जाने पर;

तीन. नियम 5 के अनुसार सोसायटी की सदस्यता का अंशदान जमा करने में असफल रहने पर,

चार. त्याग पत्र देने पर, यदि स्वीकृत हो जाता है तो; और

पांच. कोई सिद्ध नैतिक अधमता और प्रबंधकारिणी समिति के प्रस्ताव द्वारा निष्कासन से संबंधित निर्णय। ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।

9. **सदस्यों की सदस्यता पंजी संधारित की जाएगी-**

(क) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, उपजीविका तथा तारीख सहित हस्ताक्षर;

(ख) रसीद क्रमांक के साथ सदस्यों के प्रवेश की तारीख;

(ग) सदस्यता की समाप्ति की तारीख।

10. (क) **साधारण सम्मिलन-** ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 के अधीन दर्शाए गए हैं, साधारण सम्मिलन में भाग लेने के हकदार होंगे। सम्मिलन, जब कभी भी आवश्यक हो, तब आयोजित किया जाएगा। एक वर्ष में कम से कम एक साधारण सम्मिलन आयोजित किया जाना अनिवार्य है। साधारण सम्मिलन का समय, स्थान और तारीख, प्रबंधकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित की जाएगी और सभी सदस्यों को साधारण सम्मिलन की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित में संसूचित की जाएगी। सम्मिलन की गणपूर्ति 3/5 सदस्यों से होगी। सोसायटी का पहला साधारण सम्मिलन रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 3 माह के भीतर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन किया जाएगा।

(ख) **प्रबंधकारिणी समिति-** प्रबंधकारिणी समिति का सम्मिलन प्रत्येक माह आयोजित किया जाएगा और उसके लिए पूर्वसूचना प्रबंधकारिणी के प्रत्येक सदस्य को, सम्मिलन कम से कम सात दिन पूर्व, से सूचित की जानी चाहिए। सम्मिलन की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से होगी।

11. **साधारण निकाय की शक्ति तथा उत्तरदायित्व-**

एक. पूर्व वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को मंजूरी देना;

दो. सोसायटी की स्थाई निधियों तथा आस्तियों की उचित व्यवस्था करना;

तीन. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षक नियुक्त करना;

चार. ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार करना, जो कि प्रबंधकारिणी समिति द्वारा लाया जाए;

पांच. सोसायटी के अधीन चल रहे संगठन के आय तथा व्यय लेखा की विवरणी को मंजूर करना;

छह. वार्षिक बजट अनुमोदित करना।

12. **प्रबंधकारिणी समिति का गठन-** ऐसे सदस्य, जो कि नियम 5 में विनिर्दिष्ट सदस्यता रजिस्टर में नामांकित किए गए हैं, बहुमत से, प्रबंधकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे:-

(क) अध्यक्ष;

(ख) उपाध्यक्ष;

(ग) सचिव;

(घ) कोषाध्यक्ष;

(ड.) संयुक्त सचिव; और

(च) दो सदस्य।

13. **प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल:** प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। प्रबंधकारिणी समिति, नई प्रबंधकारिणी समिति के गठन तक कार्य करेगी, किन्तु यह कालावधि छह मास से अधिक नहीं बढाई जा सकेगी और कालावधि का ऐसा विस्तार साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

14. **प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं उत्तरदायित्व-**
   (क) उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना, जिसके लिए सोसायटी का गठन किया गया है;
   (ख) प्रत्येक वर्ष साधारण निकाय के समक्ष वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की विवरणी के साथ पिछले वर्ष के भली भांति परीक्षण किए गए, आय तथा व्यय, लेखा की सम्यक् रूप से संपरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करना;
   (ग) सोसायटी के अधीन कार्य कर रही संस्थाओं में कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना और सोसायटी की आस्तियों तथा स्थावर सम्पत्ति पर प्रभारित करों का भुगतान करना;
   (घ) आवश्यक कर्मचारिवृंद/ शिक्षकों की नियुक्ति करना;
   (ड.) ऐसे आवश्यक कार्यो का निष्पादन करना, जैसे कि समय समय पर साधारण सम्मिलन द्वारा समनुदेशित किए जाएं;
   (च) कोई स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के बिना अंतरित या अन्यथा अर्जित या विक्रीत नहीं की जाएगी;
   (छ) सोसायटी की उप-विधियों में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने, चर्चा करने और स्वीकृति के लिए विशेष सम्मिलन बुलाया जाएगा, संशोधन का संकल्प पारित करने के लिए इसे साधारण सम्मिलन के समक्ष रखा जाएगा। संशोधनों के लिए संकल्प पारित करने के लिए साधारण सम्मिलन का 2/3 बहुमत होना चाहिए और इसे विहित प्ररूप में अनुमोदन के लिए रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

15. **अध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त सम्मिलन तथा साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव के माध्यम से साधारण सम्मिलन के साथ-साथ प्रबंधकारिणी समिति की व्यवस्था करेगा। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त साधारण सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा।

17. **सचिव के अधिकार-**
   (क) जब कभी भी आवश्यक हो, साधारण सम्मिलन तथा प्रबंधकारिणी समिति के सम्मिलन बुलाना और समस्त आवेदन प्रस्तुत करना;
   (ख) आय तथा व्यय लेखाओं की विवरणी तैयार करना और संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित किए जाने के पश्चात् साधारण सम्मिलन के समक्ष प्रस्तुत करना;
   (ग) सोसायटी के समस्त कागज-पत्र तैयार करने के लिए व्यवस्था करना और उनका निरीक्षण करना, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो रिपोर्ट, सूचना के लिए प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष रखी जानी चाहिए,
   (घ) सचिव, एक समय में रू. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत होगा।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार-** सचिव की अनुपस्थिति में, संयुक्त सचिव, सचिव की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार-** सोसायटी के लेखाओं का संधारण करना और प्रबंधकारिणी समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से मंजूर किए गए व्यय करना।

20. **बैंक खाता-** सोसायटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जाएंगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/ सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जाएगा। दैनिक खर्चे के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रू. 5000/- रहेंगे।

21. **रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी-** मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन विहित प्ररूप में प्रबंधकारिणी समिति की सूची, सोसायटी के वार्षिक साधारण सम्मिलन की तारीख से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन संपरीक्षित लेखे, प्रतिवर्ष विहित समय में प्रस्तुत किए जाएंगे।

22. **विघटन-** सोसायटी द्वारा, उपस्थित सदस्यों के 3/5 बहुमत द्वारा विघटन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया, यदि अधिनियम के उपबंधों के अनुक्रम हो तो निष्पादित की जाएगी।

23. **सम्पत्ति-** समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति सोसायटी के नाम से होगी। सोसायटी की स्थावर सम्पत्ति (स्थिर आस्तियां), सोसायटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय, दान या अन्यथा द्वारा व्ययनित या अर्जित नहीं की जा सकेंगी।

हम निम्नानुसार पदाधिकारी/ सदस्य आदर्श उप-विधियां प्ररूप-एक क को सोसायटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं।

(अध्यक्ष) **(सचिव)** **(कोषाध्यक्ष/सदस्य)।"।**

3. प्ररूप—चार, पांच, छह एवं सात के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किए जाएं,अर्थात्:—

"प्ररूप-चार

(नियम 9 देखिये)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 10 तथा 13 के अधीन आवेदन

1. सोसायटी का नाम, पूरा पता, मोबाईल न. एवं ई-मेल आई डी. ....

2. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख ....

3. वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या ....

4. सोसायटी के रजिस्ट्रीकृत विनियम के किस विनियम के अधीन संशोधन प्रस्तावित है. ....

5. संशोधन प्रस्ताव कार्यकारिणी की किस तारीख के सम्मिलन में पारित हुआ, सम्मिलन की सूचना कितने सदस्यों को दी गई तथा गणपूर्ति क्या रही. ....

6. साधारण सम्मिलन की तारीख क्या है तथा सम्मिलन किस नियम के अधीन बुलाया गया है। सूचना कितने दिनों की दी गई थी, कितने सदस्य उपस्थित रहे तथा सम्मिलन की गणपूर्ति क्या थी. ....

7. तीन कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित संशोधन नियमों तथा विनियमों की प्रतियां प्रस्तुत की जाएं, कृपया उन नियमों, जिनके खण्ड में संशोधन प्रस्तावित है, को दर्शाते हुए विद्यमान उपबंधों तथा कारणों सहित संशोधन का तुलनात्मक चार्ट भी प्रस्तुत करें. ....

8. ज्ञापन तथा "नियमों और विनियम" में संशोधन हेतु विहित शुल्क रूपये .... ऑनलाईन चालान के माध्यम दिनांक .... को जमा कर दिया गया है, चालान आईडेन्टिफिकेशन नंबर (CIN) .... है।

9. मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... आयु .... (निवासी) .... पदनाम .... एतद्द्वारा घोषणा करता/ करती हूं कि उपरोक्त समस्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं यह जानता/ जानती हूं कि कोई मिथ्या जानकारी देना अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन दण्डनीय होगा.

हस्ताक्षर..
नाम..
पदनाम (अध्यक्ष/ सचिव)....................
मोबाईल नम्बर..........................
ई-मेल आई.डी..........................

प्ररूप पांच

(नियम 9 देखिये)

मध्यप्रदेश शासन

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि रजिस्ट्रीकृत सोसायटी .... ने, जो .... तहसील .... जिला .... में स्थित है, ने अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और **अब .... के नाम से जो** .... **तहसील** .... **जिला** .... **में स्थित है,** मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन तारीख .... को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

मुद्रा

सोसायटियों के रजिस्ट्रार

प्ररूप - छह
(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 21 के अधीन स्थावर सम्पत्ति के विक्रय, दान या अन्यथा अर्जित करने या अन्तरित करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

1. **सोसायटी का नाम, पूरा पता, मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आई डी** ....
2. सोसायटी का पंजीयन क्रमांक तथा तारीख ....
3. अर्जित /क्रय /उपहार / अंतरित /बेची जाने वाली या अन्यथा स्थावर संपत्ति की पूर्ण विशिष्टियां ....
4. सोसायटी के प्रयोजन से भिन्न संपत्ति के क्रय/ विक्रय या अन्यथा या अंतरण के कारण अथवा उद्देश्य ....
5. सोसायटी के कार्यकारी निकाय के सम्मिलन की तारीख जिसमें कि विक्रय/ क्रय या अंतरित किए जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। ....
6. स्थावर सम्पत्ति के क्रय/विक्रय या अन्तरण आदि की अनुज्ञा के लिए .... रू की फीस ऑनलाईन चालान द्वारा दिनांक .... को जमा कर दी गई है, चालान आईडेन्टिफिकेशन नंबर (CIN) .... है।
7. स्थावर सम्पत्ति के क्रय/ विक्रय/ उपहार या अंतरण के लिए किये गए अनुबंध की एक सत्यापित प्रति संलग्न करें। यदि पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना सम्पत्ति का रजिस्ट्रीकरण पहले ही करा लिया गया है तो रजिस्ट्री की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

हम सोसायटी के प्राधिकृत अधिकारी एतदद्वारा घोषणा करते हैं कि:-

(1) हम अधोहस्ताक्षरकर्ता, कार्यकारी निकाय के पदाधिकारी हैं, उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित है तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

(2) यह समुचित रूप से सत्यापन कर लिया गया है कि उक्त संपत्ति का विक्रेता अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है।

(3) उक्त संपत्ति का क्रय/विक्रय प्रतिषिदध नहीं है, यदि क्रय/विक्रय के लिए किसी प्राधिकरण की अनुज्ञा आवश्यक है तो यह हमारे द्वारा प्राप्त की जाएगी।

(4) सोसायटी द्वारा संपत्ति कलक्टर के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार क्रय/विक्रय की जाएगी। यदि कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो हम मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 38 की उप-धारा (2) के अधीन दण्ड के लिए दायी होंगे।

हस्ताक्षर..	हस्ताक्षर..
नाम..	नाम..
पदनाम　अध्यक्ष	पदनाम　सचिव
मोबा .नम्बर......................................	मोबा .नम्बर......................................
ईमेल- आई डी................................	ईमेल- आई डी................................

प्ररूप- सात

(नियम 11 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. **सोसायटी का नाम, पूरा पता, मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल तथा आई.डी.** ....

2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख ....

3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख ....

4. **विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल .... से .... तक**

अनुक्रमांक	नाम,पिता/पति का नाम	पता	मोबाईल नम्बर	धारित पद	मुख्य उपजीविका	हस्ताक्षर
(1)						
(2)						
(3)						
(4)						
(5)						
(6)						
(7)						

5. **मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन...................... रू की वार्षिक फीस, ऑनलाईन चालान दिनांक .... के माध्यम से जमा कर दी गई है, उसकी प्रति संलग्न है चालान आईडेन्टिफिकेशन नंबर (CIN) .... है ।**

घोषणा

मैं,.. पुत्र/पुत्री/पत्नी .... आयु लगभग..................... वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से मेरी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा 2 के अधीन दण्ड का/की दायी रहूंगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर..
नाम..
पदनाम(अध्यक्ष/ सचिव) ....
मोबा. नम्बर.......................................
ई-मेल आई.डी.....................................

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

NOTIFICATION

No. F-13-35/2020/B-11:: in exercise of the powers conferred by section 43 of the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Society Registrikaran Niyam, 1998, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. For Form - 1, the following Form shall be substituted, namely :-

"FORM 1
(see rule 3)
Memorandum of Society for Registration

1. The Name of the society shall be..

2. The Head Office of the Society shall be situated at H. No..........................Mohalla...........................inTehsil of the.................................

District. Mobile number.................. and E-Mail ID........................

3. The objects of the society shall be as under :-

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4. One copy of the regulation of the Society duly certified as required by sub-section (3) of section 6 of the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973) is filed with this memorandum of Association.

We, the several persons whose names, addresses, occupations and other details are mentioned below are desirous of forming a Society in pursuance of the aforesaid Memorandum of Association and have signed the memorandum in the presence of the witness. The management of the affairs of the society in entrusted by the regulations of the society to the Governor, Council of Directors, Committee or Governing Body, amongst the members of the society shown opposite to their names are specified blow-

S. No.	Name of the Signatories with Father's /Husband's Name	Full Address	Date of Birth	Mobile Number	Occupation	Designation in case of holding office in adhocgoverning body	Signature
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							
(5)							
(6)							
(7)							

Witness

Signature ....

Name ....

Father/Husband's Name ....

Full Address ....

Aadhar Number ....

Mobile Number ....

E-Mail ID ....

2. After Form-1, the following Form shall be added, namely :-

"FORM 1A
[see rule 3]
[Bye-laws of the society]

1. Name of the society shall be..

2. The Head Office of the Society shall be situated at H. No......................Mohalla...................... in Tehsil of the .... District. Mobile number .... and E-Mail ID.................................

3. Area of operation:.................

4. Objectives of the Society:-

   (As per memorandum)
   ....
   ....
   ....
   ....
   ....

5. **Members of the society shall be of the following categories :-**

   (a) Patron Members : The person who donates Rs. 1,000/- or more in lump sum or pays in 12 installments within a year shall be patron member of the society;

   (b) Life Members : The person who pays Rs. 500/- or more shall be life time member of the society;

   (c) Ordinary Members : The person(s) who pay Rs. 10/- per month or Rs. 120/- per annum shall become ordinary member. The ordinary member shall only be member for the period for which he pays contribution;

   (d) Honorary Members : The managing committee of the society can make any person or persons for membership. Such members can participate in Annual General Meeting but they shall not be entitled to vote.

6. **Obtaining the membership:-** Every person who wishes to be a member shall have to submit his application in writing before the managing committee. The managing committee shall be authorized to accept or reject such application for membership.

7. **Qualification for membership:-** The following qualifications are essential for the membership of the society –
   I. Age should not be less than 18 years;
   II. He should be a citizen of India;
   III. He has faith and follows the rules of the society;
   IV. He should have a good moral character and should be a teetotaler.

8. **Termination of membership:-** The membership of the society shall cease under any of the following conditions-
   I. On death;
   II. On madness;
   III. On failure to deposit the contribution of membership of the society as per rule 5;
   IV. On resignation, if accepted; and
   V. Any other reasons related to proven moral turpitude and expulsion by the resolution of the managing committee and such decision should be communicated in writing to the concerning member.

9. **Register of membership of members shall be maintained:-**

   (a) Name of every member, address, occupation and signature with date;
   (b) The date of entry of members with receipt number;
   (c) The date of termination.

10. **(a) General Meeting-** The member who has been shown under rule 5 shall be entitled to participate in general meeting. The meeting shall be held as and when required. It is essential to organize at least one general meeting in a year. The time, place and date of general meeting shall be decided by the managing committee and communicated in writing to all members at least 15 days before the date of general meeting. The quorum of the meeting shall be $3/5^{th}$ members. The first general meeting of the society shall be held within 3 months from the date of registration, in which the managing committee shall be elected.

    (b) Managing Committee- The meeting of the managing committee shall be organized every month and the intimation for the same should be communicated to every member of managing committee at least seven days prior to the meeting. The quorum of the meeting shall be half of the total members.

11. **Power and responsibilities of the General Body:-**
    (i) to sanction the previous year annual progress report;
    (ii) to make proper arrangement of permanent funds and assets of the society;
    (iii) to appoint auditor for the coming financial year;

(iv) to consider any other subject which may be brought by the managing committee;

(v) to sanction the statement of income and expenditure account of organization running under the society;

(vi) to approve the annual budget;

12. **Constitution of the Managing Committee:-** The members who have been enrolled in the membership register specified in rule 5 shall elect the following office bearers and members of the managing committee by majority of vote:-

(a) President;
(b) Vice-President;
(c) Secretary;
(d) Treasurer;
(e) Joint Secretary; and
(f) Two members

13. **Term of managing committee:-** The term of the managing committee shall be three years. The managing committee shall function till the new managing committee is constituted, but this period cannot be extended more than six months and such extension of period should be approved by the general body.

14. **Rights and responsibilities of the managing committee:-**

(a) to arrange the fulfillment of object for which the society has been constituted;

(b) to submit the duly audited statement of income and expenditure account of last year well examined with the statement of annual progress report before the general body every year;

(c) to make payment and allowance to the employees in the institutions working under the society and to make the payment of taxes charged on the assets and immovable property of the society;

(d) to appoint the necessary staff/teachers;

(e) to perform the necessary works as may be assigned by the general meeting from time to time;

(f) any immovable property shall not be transferred or otherwise acquired or sold without written permission of the Registrar of the society;

(g) for the proposal for the amendment in the bye-laws of the society, the special meeting shall be summoned for considering the discussions and for sanction, it shall be put up before the general meeting for passing resolution of amendment. There should be 2/3rd majority of general meeting to pass the resolution for amendments and it shall be sent to the Registrar for approval in prescribed form.

15. **Rights of the President:-** The President shall preside over all the meeting of the managing committee and general meeting and shall arrange the general meeting as well as managing committee through Secretary. The President shall have right of casting vote.

16. **Rights of the Vice-President:-** In the absence of the President, the Vice-President shall preside all the general meeting of the managing committee and shall also exercise such powers of the President.

17. **Rights of the Secretary:-**

(a) to call general meeting and managing committee meeting as and when required and put up all applications;

(b) to prepare statement of income and expenditure accounts after duly audited by the auditor and put up before the general meeting;

(c) to make arrangement for preparing all the papers of the society and inspect them if any irregularity is found, then the report should be laid before managing committee for information;

(d) the Secretary shall be authorized to accord approval for sanction of amount up to Rs. 5,000/- at a time.

18. **Rights of Joint Secretary:-** In absence of Secretary, the Joint Secretary shall exercise all the powers of the Secretary.

19. **Rights of the Treasurer:-** To maintain the accounts of the Society and make expenditure duly sanctioned by the Secretary of the managing committee.

20. **Bank Account:-** The funds of the Society shall be deposited in Scheduled Bank or post Office. The withdrawal of the funds shall be done by joint signature of the President/Secretary and Treasurer. For daily expenses a maximum of Rs. 5,000/- shall remain with treasurer.

21. **The information to be submitted to the Registrar:-** Under section 27 of Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973) , the list of the managing committee in the prescribed form to be submitted within 45 days from the date of annual general meeting of the Society. Under section 28 of the said Act, audited accounts be submitted with in prescribed time every year.

22. **Dissolution:-** The resolution for dissolution shall be passed by the Society by 3/5th majority of the members present. The above process shall be executed if in conformity with the provisions of the Act.

23. **Property:-** All movable or immovable property shall be in the name of the Society. Immovable property of the society (fixed assets) cannot be disposed of or acquired by selling, donation or otherwise without the written permission of the Registrar of the Societies.

We office bearers/members as below accept the model bye-laws Form 1A as bye laws of the society.

(President) **(Secretary)** **(Treasurer/Member).".**

3. For Forms IV, V, VI and VII, the following forms shall be substituted, namely:-

"FORM-IV

(See Rule 9)

Application Under Section 10 and 13 of the Madhya Pradesh Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973

1.	**Name of the Society, Complete address, Mobile number and Email ID**	....
2.	Registration No. and Date	....
3.	Total Number of Present members	....
4.	Under which regulation of the registered Regulation of Society amendment is proposed	....

5. In which date of the executive the amendment proposal is passed, to how many members notice of meeting served and what is the quoram ....

6. What is the date of General meeting and under which rule the meeting is summoned. How many days notice was served, how many members remained present and what was quoram of the meeting. ....

7. Copies of the amendment rules and regulations duly signed by three executive members be submitted. Please also submit comparative chart of the amendment showing the rules in which clause the amendments are proposed. With existing provisions and reasons. ....

8. The prescribed fee for amendment in the memorandum and "rules and regulation", Rs. .... has been deposited through Online Challan Dated.................. original copy thereof is enclosed, the (CIN) Challan Identification Number is......................

9. I, ... S/o .... Age .... (Resident) .... Designation .... hereby declare that above all information are true according to my knowledge and belief, and I know that giving any false information shall be punishable under Section 38 (2) of the Act.

Signature...

Name..

Designation (President/Secretary)..................

Mob. No..

E-mail ID...

FORM-V
(See Rule 9)

Government of Madhya Pradesh

Certification of Registration of the Society

No. .... Date ....

This is to certify that the registered Society .... located at .... in the .... tehsil of the .... District has changed its name and has now been registered under the name of .... Located at .... in the .... tehsil of the .... Distirct under sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No.44 of 1973) on the .... day of ....

Seal

....
(Registrar of Societies)

FORM VI
(See Rule 10)

Application for permission to sale, gift or otherwise of acquiring or transfer of immovable property under Section 21 of the Madhya Pradesh Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).

1. Name of the Society, complete address, Mobile number and Email ID ....
2. Registration Number and Date of the Society ....
3. Complete specifications of the immovable property which is going to be earned / purchase / gift / transferred/sold or otherwise ....
4. Reasons for Purchase /Sale or otherwise or transfer or objects of the property other than purpose of the Society ....
5. Date of meeting of the Executive Body of the Society wherein the resolution for sale/ purchase or to transferred has been passed ....
6. The fee of Rs. .... for permission for purchase, sale or transfer etc. of immovable property, has been deposited through Online Challan Dated.................. original copy thereof is enclosed, the (CIN) Challan Identification Number is ....
7. Enclose a certified copy of the agreement for purchase/ sale/ gift or transfer of immovable property. If registration of property has already been done without prior permission, then enclose certified copy of the registry.

We the authorized officers of the Society, hereby declare that:-

(1) We, the undersigned are the office bearers of the Executive body, the aforesaid information is based on the record of the Society and is true to the best of our knowledge and belief.

(2) It is properly verified that the seller of the said property does not belong to the Scheduled tribes.

(3) The purchase/ sale of the said property is not prohibited, if the permission of any authority for the purchase/ sale is necessary, then it shall be obtained by us.

(4) The property shall be purchased/ sold by the society in accordance with the guidelines of the Collector. If any false information is submitted, then we shall be liable for punishment under sub section (2) of section 38 of the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam 1973 (No. 44 of 1973).

Signature..	Signature..
Name..	Name..
Designation **President**	Designation **Secretary**
Mob. No..	Mob. No..
E-mail ID....................................	E-mail ID..

FROM VII
(See Rule 11)

Proforma for submitting of information of the list of Governing body under Section 27 of the Madhya Pradesh Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).

1. Name of the Society, Complete address, Mobile number and E-mail ID ....
2. Registration Number and Date ....
3. Date of Annual General body meeting ....
4. List of Existing office bearers: Working period from .... to ....

S.No	Name, Father's / Husband's name	Address	Mobile No.	Post held	Principal occupation	Signature
(1)						
(2)						
(3)						
(4)						
(5)						
(6)						
(7)						

5. The annual fee under section 27 of Madhya Pradesh Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973) of Rs.................... has been deposited through Online Challan Dated.................. original copy thereof is enclosed, (CIN) Challan Identification Number is ....

DECLARATION

I, ... S/O, D/O, W/O..aged about.............................. years, in form of an authorised officer, hereby declare that the aforesaid information is true being based on the record of the Society and to the best of my knowledge. I, undersigned authorized signatory officer is in possession of the record of the Society. I know, if any false information is submitted by me then I shall be liable for punishment under sub section 2 of section 38 of the said Act.

Signature...
Name..
Designation (President/Secretary)...................
Mob. No...
E-mail ID...

By order and in the Name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG VERMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.